

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)

सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला।

शहरी सम्पदा हांसी (हिसार), डबवाली (सिरसा), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), गोहाना (सोनीपत) में राजनैतिक दलों हेतु भूखंडों के आबंटन हेतु नियम व शर्तें।

1. निम्नलिखित शहरी संपदाओं में राजनैतिक दलों हेतु भूखंडों का विवरण व लागू दरें निम्न हैं:-

क्रम संख्या	शहरी संपदा का नाम व सैक्टर	स्थलों का संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	दर प्रति वर्ग मी. (रुपये)	कुल अनुमानित लागत (रुपये)	कुल अनुमानित लागत के 10% की दर से घरोहर राशि
1	गोहाना, सैक्टर-16	1	2104	16,000 /-	3,36,64,000 /-	33,66,400 /-
2	बल्लभगढ़, (फरीदाबाद), सैक्टर-3, पार्ट-2 बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)	1	832.27	55,000 /-	4,61,04,960 /-	46,10,496 /-
3	हांसी सैक्टर-6, पार्ट-2 हांसी	1	1254	16,000 /-	2,00,64,000 /-	20,06,400 /-
4	डबवाली, सैक्टर-10, डबवाली (डबवाली-सिरसा रोड)	1	2023	16,000 /-	3,23,68,000 /-	32,36,800 /-

नोट:- उपरोक्त भूखंडों का क्षेत्रफल मौके पर पैमाईश के दौरान घट-बढ़ सकता है तथा उपरोक्त की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो वह अलग से वसूल की जाएगी।

2. इच्छुक और पात्र राजनैतिक दल इसके आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. भूखंडों की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट www.hsvp.org.in पर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
5. प्राप्त आवेदनों की गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदनुसार आबंटन प्राधिकरण के यदि क्रमांक 45333 दिनांक 19.12.2013 व 4233-42 दिनांक 23.02.2016 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति संबंधित शहरी सम्पदा हांसी (हिसार), डबवाली (सिरसा), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), गोहाना (सोनीपत) में दिनांक 14.11.2025 सांय 5.00 बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।
7. आबंटित भूखंडों के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढ़े हुये मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटी को द्वारा देय होगी।
8. इन भूखंडों के आबंटन के समय ह.श.वि.प्रा. की संस्थागत भूखंडों (राजनैतिक दलों हेतु) जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटी से वसूल की जाएगी।



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी-3, सैक्टर-6, पंचकूला।

Application Form for Allotment of Institutional site for Offices of
Political Parties in Hansi (Hisar), Dabwali (Sirsa), Ballabgarh
(Faridabad) & Gohana (Sonapat)

To

The Estate Officer,
Haryana Shehri Vikas Pradhikaran,

_____.

Dear Sir,

Application is submitted for allotment of an Institutional site
measuring_____sq. mtr. in Sector_____ & Name of Urban Estate_____/_____
Mandi Township for District Headquarters, as per following details:-

1. Name of Political Party_____
2. Payment Details of Earnest Money_____
Draft No._____. Date of DD _____.
Amount_____. Payable at _____.- 3. Number of Sitting Members in the current Haryana Vidhan Sabha_____
- 4. Names of Sitting Members are enclosed at Annexure-I.
- 5. Proof of recognition of the Political Party by Election Commission of India is at Annexure-II.
- 6. That the _____ has not previously
(Name of Political Party)
been allotted any site in the above said Urban Estate/M.T. _____.
- 7. Correspondence Address:_____

The application may be address to the concerned Estate Officer.

8. Mobile No._____. Email ID_____

9. I, _____ on behalf
(Name/Designation of applicant)

_____ agree to confirm
(Name of Political Party)

to and abide by the terms and conditions as contained in the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran Act, 1977 and in the rules and regulations applicable there under from time to time. I do hereby declare that the information filled in the Application Form is correct. In case any information is found to be incorrect or false, my application may be rejected and earnest money may be forfeited.

Yours faithfully,

Dated:

Signature _____

Name _____

List of Documents attached:-

- i) Demand Draft for earnest money.
- ii) Names of sitting members (Annexure-I).
- iii) Proof of recognition of the Political Party (Annexure-II).